सं0-24/2016/1737/23-12-16-515/16

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषय:-विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन ईकाई में वित्तीय प्रबन्धन, पर्यावरणीय सामाजिक एवं इकोलाजिकल विशेषज्ञों की नियुक्ति, जेन्डर एसेसमेन्ट कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण कार्य (प्रथम), स्वतन्त्र क्वालिटी आडिट (तकनीकी) एवं इन्टरनल आडिट (वित्तीय) कार्य हेतु कल्सल्टेन्ट्स की नियुक्ति के कार्य के आगणन रू0 374.70 लाख (रू0 तीन करोड़ चैहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-984/1-08/यू0पी0सी0आर0एन0डी0पी0/सी0ई0 डब्लू0बी0/2014, दिनांक 22.11.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन ईकाई में वित्तीय प्रबन्धन, पर्यावरणीय सामाजिक एवं इकोलाजिकल विशेषज्ञों की नियुक्ति, जेन्डर एसेसमेन्ट कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण कार्य (प्रथम), स्वतन्त्र क्वालिटी आडिट (तकनीकी) एवं इन्टरनल आडिट (वित्तीय) कार्य हेतु कल्सल्टेन्ट्स की नियुक्ति के कार्य के आगणन रू0 374.70 लाख (रू0 तीन करोड़ चैहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- उक्त सम्बन्ध में आने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं का पूंजीगत परिव्यय-05-अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्व की सड़कें-337-वृहद निर्माण कार्य-97-वाह्य सहायतित परियोजनायें- 9701-विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु -24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे में डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/ बी0-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24/2016/1737(1)/23-12-2016तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8

8- लोक निर्माण अनु0-10

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।